प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 381 / 2023

अनवान : –

1. महेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. महावीर पुत्र गुगनराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
3. गुडी देवी पुत्री महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. सन्तरो पुत्री महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. दिनेश पुत्र महेन्द्र कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
6. ललित खुडिया पुत्र महेन्द्र कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
7. सुशील पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
8. सुमन पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांक: **29.05.2023**

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:32:51 IST
Reason: SelfAttested.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रक[illegible] वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के [illegible] पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–[illegible] के खाता स0 150 / 166 की कुल 8.8780 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गुगनराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हो गई वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी स0 1 जो की वादी का पिता है तथा प्रतिवादीया स0 3 व 4 जो की वादी की बहिने है तथा प्रतिवादीया स0 8 जो की प्रतिवादी स0 2 की पुत्री तथा प्रतिवादी स0 7 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों/पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुके है। प्रतिवादी स0 1, 3, 4 व 8 का कोई हक हिस्सा शेष नही है बाद हक त्याग बाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 5 व 6 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा पर काबिज है तथा प्रतिवादी स0 2 व प्रतिवादी स0 7 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि पर काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने उपस्थित वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 की आपसी सहमति/इकबाल मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 8 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजता हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1, 3, 4 व 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है।। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसी[illegible] के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 150/166 की कुल 8.87[illegible] स0 1 [illegible] नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात[illegible] परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वा[illegible] प्रस्तुत शपथ व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:32:51 IST
Reason: SelfAttested

गया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 150/166 की कुल 8.8780 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 5 व 6 तीनों को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 7 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 29/5/22 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–किंकराली

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:32:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 381 / 2023
अनवान : –

1. महेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. महावीर पुत्र गुगनराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
3. गुडी देवी पुत्री महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. सन्तरो पुत्री महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. दिनेश पुत्र महेन्द्र कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
6. ललित खुडिया पुत्र महेन्द्र कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
7. सुशील पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
8. सुमन पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 381 सन 2023 निर्णय दिनांक 29.05.2023

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम नि[illegible] निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर [illegible] होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि [illegible] मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 150 / 166 की कुल 8.8780 हैक्ट भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:32:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी स0 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 5 व 6 तीनों को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादी स0 2 व प्रतिवादी संख्या 7 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 29/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–किंकराली

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:32:51 IST
Reason: SelfAttested